UPGK010050992026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2224/2026,

सहादत अली उर्फ नाटे पुत्र सहाबुद्दीन,
निवासी- जंगल सुभान अली, साई टोला,
थाना- पिपराईच, जिला- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 179/2026,
धारा- 191 (2),131,352,351 (3),105,189 (4),190, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर।

02.06.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त सहादत अली उर्फ नाटे, जो अपराध संख्या- 179/2026, धारा- 191 (2),131,352,351 (3),105,189 (4),190, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.04.2026 को शाम लगभग 07:00 बजे पुरानी रंजिशवश सलीम, जिवरील, सुलेमान, शहादत उर्फ नाटे, गब्बर व दीपू साहनी अन्य लोगो के साथ गोलबन्द व एक राय होकर लाठी-डण्डा, धारदार हथियार से लैस होकर प्रथम सूचनाकर्ता जाबिर अली के दरवाजे पर चढ़ कर जान मारने की नीयत से सलीम, जिबरील, सुलेमान व शहादत उर्फ नाटे वगैरह ललकारे कि जान से मार दो साले को, यह कहते हुए उपरोक्त लोग प्रथम सूचनाकर्ता के दरवाजे पर खड़े हुए प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र साहिल अली को लात-मुक्का व तलवार धारदार हथियार से मारने लगे। सलीम व जिवरील, सुलेमान व शहादत उर्फ नाटे धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किये, जिससे प्रथम सूचनाकर्ता का पुत्र साहिल लहूलुहान होकर गिर कर बेहोश हो गया और प्रथम सूचनाकर्ता का भाई मोहम्मद हामिद बचाने गया, तो उपरोक्त लोग धारदार हथियार से प्रथम सूचनाकर्ता के भाई मोहम्मद हासिम पर भी हमला कर मारने लगे, जिससे प्रथम सूचनाकर्ता का भाई भी बुरी

तरह से घायल हो गया। उक्त लोग प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र व भाई को मरा जानकर छोड़ कर भाग गए। उक्त लोग भद्दी-भद्दी गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

ईलाज के दौरान दिनांक 01.04.2026 को समय करीब 02:30 से 03:00 बजे के मध्य भोर में प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र साहिल अली की मृत्यु हो गई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त घटना स्थल पर विद्यमान नहीं था। आवेदक/ अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। तथाकथित घटना के दो दिन पूर्व दोनो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता व मृतक साहिल सहित उसके परिवार के 8-9 सदस्यों के विरूद्ध अपराध संख्या- 177/2026, धारा- 191 (2),191 (3),333,324 (4),352,351(3),351 (6) भारतीय न्याय संहिता, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर पर मीना खातून द्वारा दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा हत्या कारित करने का कोई इरादा नहीं था। घटना का कोई हेतुक नहीं है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदक/अभियुक्त 26.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर प्रथम सूचनाकत्री के पुत्र साहिल अली व प्रथम सूचनाकर्ता के भाई मोहम्मद हामिद को लात-मुक्का व तलवार से बुरी तरह मारा-पीटा गया था, जिससे उन्हें गम्भीर उपहतियॉ आयी थी और ईलाज के दौरान दिनांक 01.04.2026 को समय करीब 02:30 से 03:00 बजे के मध्य भोर में प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र साहिल अली की मृत्यु हो गई। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता जाबिर अली के पुत्र साहिल अली व भाई मोहम्मद हामिद को लात-मुक्का व तलवार से बुरी तरह मारने तथा भद्दी-भद्दी गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने और उक्त उपहतियो के परिणामस्वरूप ईलाज के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता जाबिर अली के पुत्र साहिल अली की मृत्यु होने का गम्भीर अभिकथन है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता जाबिर अली के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में कथन करते हुए कहा गया है कि सलीम, जिवरील, सुलेमान, शहादत उर्फ नाटे, गब्बर, दीपू साहनी अन्य लोगो के साथ गोलबन्द एक राय होकर लाठी-डण्डा, धारदार हथियार से लैश होकर दरवाजे पर चढ़ कर जान मारने की नीयत से सलीम व जिवरील, सुलेमान व शहादत उर्फ नाटे ललकारे कि जान से मार दो साले को यह कहते हुए उपरोक्त लोग इसके पुत्र साहिल अली को लात-मुक्का व तलवार से मारने लगे। साहिल लहूलुहान होकर गिर कर बेहोश हो गया। इसका भाई मोहम्मद हासिम पर भी हमला कर मारने लगे, जिससे इसके भाई भी बुरी तरह घायल हो गये। दवा ईलाज के दौरान दिनांक 01.05.2026 को साहिल की मृत्यु हो गयी। आहत साक्षी हासिम अली द्वारा विवेचक के समक्ष कथन किया गया है कि सलीम अपने साथियों के साथ इसके घर आकर इसके भतीजे साहिल को ललकारने लगा। जब इसका भतीजा बाहर आया, तो सभी लोग एक राय होकर अपने हाथ में लिये लाठी-डण्डे से उसे मारने लगे तथा सलीम ने अपने हाथ में लिये हथौड़े से जान से मारने की नीयत से इसके भतीजे के सिर पर कई प्रहार किये, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा तथा खून से सराबोर हो गया था, तब भी सलीम व उसके साथी उसे जान से मारने के लिए उसको मारपीट रहे थे।

मृतक साहिल के शव के अन्त्य परीक्षण आख्या के अनुसार दाहिने टेम्प्रो पेराइटली भाग पर C आकार का सिला हुआ घाव मौजूद था, जिसको काटने पर नीचे हेमोटोमा मौजूद था तथा खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई थी तथा गर्दन के निचले भाग के सामने 1 सेन्टीमीटर X 1 सेन्टीमीटर के आकार की चोट मौजूद थी तथा मृत्युपूर्व सिर में आयी चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोमा से मृतक की मृत्यु होना चिकित्सक द्वारा अन्त्य परीक्षण आख्या में उल्लिखित किया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत मोहम्मद हासिम के शरीर पर 03 उपहतियॉ पायी गयी है, जिनमे से पहली उपहति माथे पर बायी तरफ आठ सिले हुए घाव मौजूद थे, जो 5 सेन्टीमीटर के आकार के थे, जिसके लिए सी0टी0 हेड की सलाह दी गयी, दूसरी उपहति फटा हुआ घाव, जिसका आकार 6 सेन्टीमीटर X 2 सेन्टीमीटर X हड्डी तक गहरा था, जो दाहिने पैर के ठीक नीचे नी ज्वाइण्ट पर मौजूद था, जिसके लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी तथा तीसरी उपहति बाये हाथ में दर्द की शिकायत थी, परन्तु कोई जाहिरा चोट नहीं थी। दौरान विवेचना सह-अभियुक्त सलीम की निशानदेही पर तथाकथित घटना में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया प्रचलित है तथा मामला अभी विवेचनाधीन है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की

कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त सहादत अली उर्फ नाटे की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
02 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.02 16:12:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court